भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2176
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टरों और परिचारिकाओं की कमी

2176. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सकों, परिचारिकाओं और परा-चिकित्सकों की कमी का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार अपने कार्याधीन अस्पतालों और एम्स में रिक्त स्वीकृत पदों को भरने में विफल रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): देश में 13,88,185 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर और 7,51,768 पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में पंजीकृत चिकित्सकों का 80% उपलब्ध है, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।

इसके अलावा, भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के अनुसार, लगभग 42.94 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मी हैं। यदि 80% नर्सिंग कर्मी उपलब्ध हों, तो देश में नर्स-जनसंख्या अनुपात 3:1000 होने का अनुमान है।

देश में मेडिकल कॉलेजों, स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो गई है; यूजी सीटें 51,348 से बढ़कर 1,28,875 हो गई हैं और स्नातकोत्तर सीटें 31,185 से बढ़कर 80,291 हो गई हैं।

देश में चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से 137 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।

ii. राज्य सरकार/संघ सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाना है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत "सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" से संबंधित एक घटक है। इस घटक के तहत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दूसरा घटक नए एम्स की स्थापना से संबंधित है, जिसके तहत 22 एम्स को मंजूरी मिल चुकी है।

iv. नर्सिंग शिक्षा के संवर्धन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना।

v. केंद्रीय क्षेत्र योजना 'नर्सिंग सेवाओं का विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजों में उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्र सरकार के अस्पतालों और एम्स में बढ़ती जरूरतों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों का विस्तार करना, जिसमें डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के पदों का सृजन और रिक्त पदों को भरना शामिल है, एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है।

*****